राजस्व अपील संख्या 135/2021
अनवान
बस्तीराम बनाम मुरलीधर

दिनांक 06–07–2022

राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । अपीलांट अधिवक्ता की ओर से दिनांक 24–8–2021 की आदेशिका मे अपीलांट के देहांत हो जाने का नोट अंकित किया तथा उनके निवेदन पर अपीलांट के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लाने हेतु समय दिया जाता रहा परंतु अब तक अपीलांट के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लाने बाबत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही हुआ है । ऐसे मे मृत अपीलांट की अपील को आगे चलाना न्यायसंगत नही होने से प्रस्तुत उक्त अपील खारीज की जाती है । पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लोटाया जायें । निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अति० संभागीय आयुक्त,
जोधपुर